भारत के पुरुष अधिकार आंदोलन ने 18 साल पूरे किए

Save Indian Family (SIF) आंदोलन 10 मार्च 2005 को स्थापित किया गया था

Men Welfare Trust और Save Family Foundation ने महत्वपूर्ण मुद्दों के साथ "स्थापना दिवस" मनाया:

- पति पत्नी के बलात्कार और वैवाहिक बलात्कार की जनहित याचिका पर जानकारी
- पुरुष और चुनाव
- कानूनी आतंकवाद से संबन्धित पीड़ितो की कहानियां
- पुरुषों का कार्यस्थल पर उत्पीड़न (शारीरिक और मानसिक)

गुरुवार, 10 March, 2022: Men Welfare Trust (MWT) और Save Family Foundation (SFF), Save Indian Family Family (SIF) आंदोलन के तत्वावधान में पंजीकृत गैर सरकारी संगठन, पिछले 18 साल के पुरुष अधिकार की सफल यात्रा के लिए पूरे भारत में प्रत्येक पुरुष अधिकार कार्यकर्ता को बधाई देते हैं। जिसको SIF आंदोलन भी कहते है।

लगभग 20 गैर सरकारी संगठन भारत मे 2005 में पुरुषों के अधिकार आंदोलन की नींव रखने के लिए एक साथ आए और आज यह समूह (SIF) देश के अंदर और बाहर लगभग 45 से ज्यादा गैर सरकारी संगठनों और अध्यायों का एक समूह है। इस आंदोलन की सफल यात्रा को साझा करना अनिवार्य है, जिसने इस मुद्दे को उठाया है, जिसे न केवल नजरअंदाज किया गया है बल्कि अधिक नकारात्मक प्रकाश/विचार के साथ दिखाया/बताया भी किया गया है।

पिछले 18 वर्षों में इस आंदोलन ने लाखो परिवारों की मदद की है जो "पक्षपाती" कानूनों के बनने के वजह से भारत में फैले कानूनी आतंकवाद के शिकार हैं। यह आंदोलन पहले Yahoo Group पर चलता था और अब Google Group से चलता है जो की इस आंदोलन की रीढ़ की हड्डी है जिसका नाम है, "Save Indian Family" (SIF)। हम लगभग 100 फेस्बूक पेज, व्हात्सप्प ग्रुप और तकरीबन पुरे भारत में 27 स्थानों पर साप्ताहिक समर्थन बैठकें भी चलाते हैं। हमने 2014 में पुरुषों के लिए भारत में पहली सिंगल नंबर हेल्पलाइन भी शुरू की, जिसका नाम है, "SIF ONE - 8882498498", जिस पर हर महीने पीड़ित पुरुषों से लगभग 4000-6000 कॉल आते है । सभी ग्रुप की कई वेबसाइटों और मुख्य वेबसाइट, www.saveindianfamily.in, के अलावा मोबाइल ऐप, "SIF ONE APP" (ANDROID और AMAZON उपलब्ध) के माध्यम से भी SIF आंदोलन तक पहुंचा जा सकता है।

कानूनी आतंकवाद के पीड़ितों के लिए हमारी सेवा/मदद को आसानी से उपलब्ध कराने के अलावा, हमारे SIF आंदोलन ने पिछले कई वर्षों में कई महत्वपूर्ण जमीनी किर्याएं शुरू की हैं, जिसमें पुरुषों को प्रभावित करने वाले मुद्दों के खिलाफ कई सफल विरोध प्रदर्शन, विभिन्न संसदीय समितियों, कानून आयोगों, सांसदों आदि को ज्ञापन देना भी शामिल है। आंदोलन ने जनहित याचिका का हिस्सा बनकर कानूनी सक्रियता भी की है, जो की पुरुषों को प्रभावित करती है, जिसमें आजकल माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय में चल रही जनहित याचिका भी शामिल है, जिसे आमतौर पर वैवाहिक बलात्कार का नाम दिया गया है। इस आंदोलन ने भारत के बाहर भी कानूनी आतंकवाद को बढ़ावा देने का कड़ा विरोध किया है, नवीनतम ऑस्ट्रेलिया है, जहां SIF सहित कई लोगों / समूह के प्रयासों से "दहेज विरोधी कानून" को रोक दिया गया था।

जबकि सफलता के रूप में जश्न मनाने और बात करने के लिए बहुत कुछ है, यह स्वीकार करना महत्वपूर्ण है कि हम "पुरुषों के लिए मानवाधिकार" की अपेक्षा से बहुत दूर हैं। हम अभी भी एक ऐसे देश में रह रहे हैं, जिसे "दुनिया की आत्महत्या की राजधानी" के रूप में जाना जाता है क्योंकि यहाँ पर हर साल लगभग 1 लाख पुरुषों को आत्महत्या करने के लिए मजबूर करते हैं, जिनमें से सबसे बड़ा कारण पारिवारिक मुद्दे हैं। हम एक ऐसे देश में रह रहे हैं जिसमें लगभग 48 कानून ऐसे हैं जो पुरुषों को कोई सुरक्षा प्रदान नहीं करते हैं और केवल महिलाओं के उपयोग और दुरुपयोग के लिए बने हुए है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट (1922) की एक कविता के अनुसार,

"But I have Promises to Keep, And miles to go before I sleep"

इस स्थापना दिवस के साथ, हम अपने आप से वादा करते हैं कि हम पुरुषों और पुरुषों के अधिकारों के लिए तब तक लड़ते रहेंगे जब तक हम यह सुनिश्चित न कर ले कि सिर्फ लिंग के आधार पर पुरुषों की उपेक्षा नहीं हो रही है या उनके साथ भेदभाव नहीं किया जा रहा है!!

इस स्थापना दिवस पर कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार-विमर्श करना भी महत्वपूर्ण है:

वैवाहिक बलात्कार (PIL और अपडेट):

1. 2015 में कुछ याचिकाकर्ताओं ने आईपीसी 375 (बलात्कार कानून) में पति के अपवाद को हटाने के लिए माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका दायर की।
2. इस कानून में महिला perpetrators को पूरी तरह से अपवाद है और जो शादीशुदा पुरुष को अपवाद दिया गया है petitioner उसको असंवैधानिक बोलना चाहते है
3. हमारे 2 गैर सरकारी संगठनों, Hridaya (कोलकता) और Men Welfare Trust (दिल्ली) ने हस्तक्षेप दायर किया और माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के द्वारा पुरुषों के पक्ष का प्रतिनिधित्व करने की अनुमति दी गई। लगभग 20 मजबूत कार्यकर्ताओं और शोध विचारो की एक टीम के साथ, हमारे दोनों गैर सरकारी संगठन जनहित याचिका में अपवाद का बचाव करने के लिए मजबूती से खड़े हैं।
4. Hridaya का प्रतिनिधित्व वरिष्ठ अधिवक्ता श्री आर.के. कपूर द्वारा किया गया और Men Welfare Trust का प्रतिनिधित्व अध्यक्ष और उपाध्यक्ष द्वारा Party in Person द्वारा किया गया था और हाल ही में एडवोकेट जे साई दीपक द्वारा भी प्रतिनिधित्व किया गया था ।
5. Men Welfare Trust द्वारा किए गए सबमिशन की कॉपी वेबसाइट पर उपलब्ध है।
6. हमारी दलीलें हैं: अपवाद असंवैधानिक नहीं है, अपवाद अपराध करने का लाइसेंस नहीं है, शादी के भीतर यौन हिंसा पहले से ही अन्य कानूनों में शामिल है, अंतरराष्ट्रीय निर्णयों को गलत तरीके से प्रस्तुत किया गया है, NFHS सर्वेक्षण भरोसेमंद नहीं है, आदि।
7. वर्तमान में, निर्णय माननीय उच्च न्यायालय द्वारा सुरक्षित रखा गया है।
8. विडंबना यह है कि भारत सरकार और दिल्ली सरकार ने अपने पिछले सबमिशन व हलफनामे वापस ले लिए हैं और इस मामले पर कोई राय पेश नहीं करने का फैसला किया है, इसलिए अब कानूनी लड़ाई याचिकाकर्ताओं और हमारे 2 गैर सरकारी संगठनों के बीच है।

पुरुष और चुनाव:

1. पुरुष वोटबैंक को राजनीतिक दलों ने हमेशा नज़रअंदाज़ किया है।
2. हमारे सदस्यों ने मेरा अधिकार राष्ट्रीय दल (MARD) के रूप में एक राष्ट्रीय स्तर की राजनीतिक पार्टी शुरू करने का फैसला किया।
3. पुरुष वोटबैंक MARD पार्टी का समर्थन कर रहा है, जहां हमारे उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं।

4. जिस स्थान पर हमारी पार्टी चुनाव नहीं लड़ रही है, वहां पुरुष वोट बैंक ने #NoVoteToMaleHaters का फैसला किया है।
5. कुछ सीटों पर पुरुष लिंग की अनदेखी का विरोध दर्ज कराने के लिए पुरुष वोट बैंक ने #NOTA को आगे बढ़ाया है।
6. पुरुष वोट बैंक कई वर्षों में विकसित हुआ है। भारत में, पुरुष आत्महत्या के 1 लाख परिवार, पुरुषों के 5 लाख वैवाहिक मुकदमेबाजी परिवार और समान संख्या में परिवार जो कानूनी आतंकवाद के खतरों के मूक पीड़ित हैं। तो, मान लीजिए कि 10 वर्षों की अवधि में, यह प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित पुरुषों/परिवारों का लगभग 1.1 करोड़ है। यदि कोई विस्तारित परिवार के सदस्यों की संख्या जोड़ता है, तो #MaleVoteBank की भयावहता को अनदेखा करना राजनेताओं की सबसे बड़ी भूल है।

कानूनी आतंकवाद की शिकार कहानियां:

1. यह 2005 था जब भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने " Sushil Kumar vs. Union of India" में "कानूनी आतंकवाद" शब्द का इस्तेमाल किया था w.r.t. लिंग पक्षपाती कानून (आईपीसी 498 ए) के दुरुपयोग के कारण ।
2. हम आपके सामने पेश करते हैं इन पीड़ितों की दिल दहला देने वाली पीड़ा जिसे "असली" पीड़ित और उसके परिवार के सदस्यों को झेलना पड़ा।
3. हम उन्हें अपने बारे में साझा करने देंगे।

पुरुषों का कार्यस्थल उत्पीड़न:

1. भारत, सबसे बड़ा कार्यबल, जहां लड़कों को रक्षक और प्रदाता के रूप में लाया जाता है, सवाल करते हैं कि केवल पुरुषों को ही काम क्यों करना पड़ता है। नारीवादियों ने जेंडर पे गैप, Glass ceiling आदि सहित अभिनव झांसे गढ़े हैं।
2. भारत जैसे तथाकथित "पितृसत्तात्मक" देश में, इतने बड़े, जबरन पुरुष कार्यबल के साथ, कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से संरक्षण अधिनियम है, जो पुरुषों को पीड़ितों के रूप में कवर नहीं करते है।
3. यह कानून पुरुषों को नौकरी से निकालने का एक हथियार बन गया है, महिलाओं को गैर-प्रदर्शन के लिए बर्खास्तगी से बचाने और महिलाओं द्वारा कार्यस्थल पर धमकाने और अवैध लाभ को हासिल करने का एक आसान हथियार उपकरण बन गया है।
4. #MeToo ने पुरुषों के खिलाफ #DigitalMobLynching के रूप में इसके उपयोग को साबित किया है।
5. स्वतंत्र सर्वेक्षण स्पष्ट रूप से दिखाते हैं कि कैसे पुरुष कार्यस्थल पर उत्पीड़न का शिकार होते हैं, जबकि कानून निर्माताओं ने पुरुषों को राष्ट्रीय महिला आयोग की दया पर छोड़ दिया कि क्या पुरुषों को कानून के तहत कवर किया जाना चाहिए या नहीं। विडंबना!!

मेन वेलफेयर ट्रस्ट के संस्थापक अध्यक्ष श्री अमित लखानी ने कहा, "पुरुषों की मदद और समर्थन करने के 18 साल पूरे करने के लिए भारत भर के सभी MRA को बधाई। जबकि हमें अभी भी बहुत कुछ करना है, आइए उन सभी लोगों की पीठ थपथपाने के लिए कुछ समय निकालें जिन्होंने आंदोलन को आगे बढ़ाने में मदद की। वैवाहिक बलात्कार जनहित याचिका व्यक्तिगत रूप से एक पार्टी के रूप में हमारा पहला अनुभव था और यह निश्चित रूप से एक अद्भुत यात्रा थी क्योंकि माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय ने पुरुषों को प्रभावित करने वाले मुद्दों को महत्वपूर्ण और उचित दिया है। हमने व्यापक प्रस्तुतियाँ दी हैं और हम अधिवक्ता को भी धन्यवाद देना चाहते हैं। जे साई दीपक और उनकी टीम को कार्यवाही के अंत में हमारे लिए खड़े होने के लिए धन्यवाद।"

वह आगे कहते हैं, "यह निराशाजनक है कि राजनीति ने लैंगिक भेदभाव को लेकर आगे की सीट ले ली है।" जबकि UOI अपने पिछले हलफनामे को वापस लेने के बाद परामर्श प्रक्रिया के लिए समय के लिए दबाव डाल रहा है, दिल्ली सरकार ने वकील नंदिता राव के माध्यम से वैवाहिक बलात्कार को अपराधी बनाने के खिलाफ व्यापक तर्क देने के बाद, तर्क बंद होने और फैसला सुरक्षित रखने के बाद, वे पीछे

हट गए और लिया अपना हलफनामा वापस ले लिया । जनहित याचिका अब नारीवादी विदेशी वित्त पोषित गैर सरकारी संगठनों बनाम पुरुषों के अधिकार समूह जैसे हृदय और पुरुष कल्याण ट्रस्ट के बीच लड़ाई की तरह दिखती है।

Save Family Foundation के सह-संस्थापक श्री वासिफ़ अली ने कहा, "18 साल और हम अभी भी बढ़ रहे हैं, हालांकि अच्छा लगता है लेकिन ईमानदारी से, हमारा सपना आंदोलन को बंद करना है। यह उस दिन हो सकता है जब पुरुषों के साथ उनके लिंग के लिए किसी भी रूप में भेदभाव नहीं किया जाता है। अगर हम अभी भी बढ़ रहे हैं, तो इसका मतलब है कि समस्या बढ़ रही है। इसका मतलब है कि अधिक से अधिक पुरुष पीड़ित हैं। ज़रा सोचिए, अगर हम न होते तो इस दुख की भयावहता क्या हो सकती थी।

Men Welfare Trust (MWT) और Save Family Foundation (SFF) के बारे में:

नई दिल्ली में पंजीकृत एनजीओ, Men Welfare Trust (MWT) और Save Family Foundation (SFF), उन पुरुषों के हितों की रक्षा के लिए काम करते हैं जिन्हें लैंगिक पक्षपाती कानूनों के घोर दुरुपयोग के कारण झूठे मामलों में फंसाया गया है। MWT और SFF वैवाहिक बलात्कार जैसे मुद्दों पर कई हस्तक्षेप याचिकाओं में शामिल रहा है। गैर सरकारी संगठन, जिनका प्रबंधन भारत के प्रमुख पुरुष अधिकार कार्यकर्ताओं द्वारा किया जाता है, पुरुषों और उनके परिवारों को मुफ्त और निस्वार्थ सहायता प्रदान करते हैं, जो झूठे 498-ए, बलात्कार, यौन उत्पीड़न, घरेलू हिंसा और अन्य मामलों जैसे लिंग पक्षपाती कानूनों के दुरुपयोग से पीड़ित हैं। उन्होंने संकट में फंसे लाखों पुरुषों और परिवारों को भाईचारे का समर्थन प्रदान किया है, जो झूठे मामलों का शिकार हुए हैं, जो कई महिलाओं द्वारा एक असफल रिश्ते को भुनाने और निकालने, पुरुषों को बदनाम करने और शर्मिंदा करने और व्यक्तिगत स्कोर का निपटान करने के लिए दायर किए गए हैं। MWT, SFF के सदस्य पुरुषों के अधिकारों के मुद्दों पर अनुसंधान, प्रलेखन और प्रकाशन जैसी कई अन्य गतिविधियों में भी सक्रिय रूप से लगे हुए हैं, और नियमित रूप से भारत के प्रमुख राष्ट्रीय समाचार चैनलों पर दिखाई देते हैं।

आगे की जानकारी के लिए कृपया संपर्क करें:

अमित लखानी +91 9811004578

स्वरूप सरकार +91 9773872884

वसीफ अली +91 9818509406

contactsavefamily@gmail.com, menwelfaretrust@gmail.com